न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़, जिला— अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शांतनु सिंह खंगारोत R.J.S.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23 / 187 / 2022
सी.आई.एस. नम्बर : 354 / 2022
एफआईआर सं. : 20 / 2022
पुलिस थाना : टहला

राजस्थान राज्य **बनाम** महेन्द्र

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा0दं0सं0

भाग—1
अ

शिकायतकर्ता	श्री नरसीराम
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	महेन्द्र कुमार पुत्र श्रवणलाल मीना, उम्र 23 साल, निवासी बीरपुर थाना टहला जिला अलवर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्रीमती अलका सैनी

भाग —2
अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची
अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
पी.डबल्यू 01	कजोडराम	चश्मदीद साक्षी
पी.डबल्यू 02	रामकिशन	चश्मदीद साक्षी
पी.डबल्यू 03	कमलेश	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 04	पप्पूराम	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 05	नरसीराम	परिवादी
पी.डबल्यू 06	पायलेट मीना	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 07	सुखराम	चश्मदीद साक्षी
पी.डबल्यू 08	रामेश्वर दयाल	चश्मदीद साक्षी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	सक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

कमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण	गवाह जिसके द्वारा प्रदर्शित करवाया गया
1	प्रदर्श पी 01	नक्शामौका	Pw 01, 02, 05
2	प्रदर्श पी 02	पुलिस बयान कजोड	Pw 01
3	प्रदर्श पी 03	पुलिस बयान रामकिशन	Pw 02
4	प्रदर्श पी 04	फर्द जब्ती मो0सा0	Pw 03, 04, 05
5	प्रदर्श पी 05	तहरीरी रिपोर्ट	Pw 05
6	प्रदर्श पी 06	चाक एफआईआर	Pw 05
7	प्रदर्श पी 07	अस्थाई सुपुदर्गी मो0सा0	Pw 05
8	प्रदर्श पी 08	फर्द पंचायतनामा	Pw 05
9	प्रदर्श पी 09	रसीद सुपुदर्गी लाश	Pw 05
10	प्रदर्श पी 10	पुलिस बयान नरसीराम	Pw 05
11	प्रदर्श पी 11	133 एमवी एक्ट का नोटिस	Pw 06
12	प्रदर्श पी 12	फर्द जब्ती वांछित कागजात	Pw 06
13	प्रदर्श पी 13	फर्द जब्ती कागजात	Pw 06
14	प्रदर्श पी 14	पुलिस बयान सुखराम	Pw 07
15	प्रदर्श पी	पुलिस बयान रामेश्वरदयाल	Pw 08

	15		
16	प्रदर्श पी 16	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	Pw 08

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
निल	निल	निल

नि र्ण य **दिनांकः 16.03.2026**

01. इस आपराधिक प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी नरसीराम ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 25.01.2022 को उसका छोटा भाई मनोहरलाल उनकी मो0सा0 आरजे 29 एसएस 3867 एसपी को लेकर चावण्ड माता मंदिर बिगोता प्रसाद चढाने जा रहा था। समय करीब दिन के 04. 00 बजे भोभल्या की ढाणी नाथलवाडा गांव के पास पहुंचा तो बिगोता की तरफ से एक कार नंबर आरजे 29 टीए 2455 का चालक अपने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए लाया व उसके भाई की मो0सा0 जो अपनी साईड में चल रहा था के सामने से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में धपावन गांव के पास उसकी मृत्यु हो गई..... इत्यादि। रिपोर्ट पर पुलिस थाना टहला में एफ.आई.आर नं 20/2022 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त महेन्द्र के विरूद्व अपराध धारा 279, 304(ए) भा0द0स0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

02. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304(ए) भा0द0स0 का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझ कर अपराध अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

03. साक्ष्य अभियोजन लेखबद्ध की गई। अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 द.प.स. लेखबद्व किये गये। प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा जिसपर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

04. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरित अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का अपराध में संलिप्त नहीं होना जाहिर करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.01.2022 को समय करीब दिन के 04.00 बजे भोभल्या की ढाणी नाथलवाडा गांव के पास बिगोता की तरफ से आते हुए अपनी कार नंबर आरजे 29 टीए 2455 को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए परिवादी के भाई मनोहरलाल की मो0सा0 नंबर आरजे 29 एसएस 3867 के सामने से टक्कर मार दी। इस उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से परिवादी के भाई मनोहरलाल की मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है। अभियुक्त का उक्त कृत्य भा0द0स0 की धारा 279, 304ए के अधीन दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है?

2. यदि हॉ तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

07. हस्तगत प्रकरण का उद्गम परिवादी नरसीराम द्वारा प्रदर्श पी5 तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना टहला में दिए जाने से हुआ। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी नरसीराम ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 25.01.2022 को उसका छोटा भाई मनोहरलाल उनकी मो0सा0 आरजे 29 एसएस 3867 एसपी को लेकर चावण्ड माता मंदिर बिगोता प्रसाद चढाने जा रहा था। समय करीब दिन के 04.00 बजे भोभल्या की ढाणी नाथलवाडा गांव के पास पहुंचा तो बिगोता की तरफ से एक कार नंबर आरजे 29 टीए 2455 का चालक अपने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए लाया व उसके भाई की मो0सा0 जो अपनी साईड में चल रहा था के सामने से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में धपावन गांव के पास उसकी मृत्यु हो गई..... इत्यादि। उक्त परिवादी प्रकरण में **गवाह पी.ड.5** के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर किया है कि ''दिनांक 25.01.2022 को मेरा छोटा भाई मनोहर लाल मोटरसाईकिल से बीघोता जा रहा था। जैसे ही समय करीब 4 बजे नाथलवाडा गांव के पास पहुंचा तो एक वाहन का चालक ने उसके टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। जिसको मौके पर लोगो ने संभाला तथा इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई व मृतक मेरे भाई मनोहर लाल को सरकारी अस्पताल बांदीकुई ले गये। जहां मैने रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पुलिस थाना टहला को तहरीर रिपोर्ट पेश की जो प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। तथा जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 6 है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे मृतक भाई की मोटरसाईकिल को जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 जप्त किया था जिस पर ई स एफ मेरे हस्ताक्षर है व मुझे उक्त मोटरसाईकिल को अस्थाई सुपुर्दगी पर दिया जो प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे मृतक भाई का पंचनामा बांदीकुई अस्पताल में बनाया था जो प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। बाद पीएमआर मैने अपने भाई की लाश सुपुर्दगी पर ली जो प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दुर्घटना करने वाले वाहन के नंबर क्या थे मुझे ध्यान नही है।'' उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है, जो स्वयं की **जिरह** में स्पष्ट रूप से इस तथ्य से इंकार

करता है कि वाहन कार नंबर आरजे 29 टीए 2455 के चालक ने तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसके भाई मनोहरलाल की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मनोहरलाल के चोटे आई व उसकी मृत्यु हो गई। गवाह इस तथ्य से भी इंकार करता है कि उन्होने क्लेम लेने के लिए वाहन नंबर आरजे 29 टीए 2455 के स्वामी व चालक महेन्द्र के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। इस प्रकार गवाह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है।

08. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.ड.1 कजोड एवं पी.ड.2 रामकिशन** तथाकथित रूप से घटना के चश्मदीद गवाहान के रूप में परीक्षित हुए है। उक्त गवाहान स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर करते है कि दिनांक 25.01.2022 को वे उसकी मोटर साईकिल से उनके गाँव जा रहे थे। जैसे ही वे डावर के नले के पास पहुंचे तो बीधोता की तरफ से एक मारूती वाला आया जो तेजगति व लापरवाही से अपनी गाडी को चलाकर ला रहा था, जिसने एक मोटर साईकिल चालक के टक्कर मारी दी, जिसको उन्होने सम्भाला। दुर्घटना कारित करने वाला वीरपुर का महेन्द्र था। उन्होंने महेन्द्र की मारूती में बिठाकर मनोहरल को बांदीकुई अस्पताल में भेज दिया था। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा बनाया जो प्रदर्श पी 01 है। उक्त गवाहान को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है, जो स्वयं की **जिरह** में स्पष्ट रूप से कथन करते है कि उनको तो मनोहर सडक पर पडा मिला था। उन्होने मारूति से टक्कर होते हुए नही देखा था। टक्कर मारने वाली मारूति मौके पर नही थी वह भाग गई थी। वे मारूति चालक को भी नही जानते है। मारूति को कौन चला रहा था उन्हे नही पता। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उक्त चश्मदीद गवाहान भी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन व उसके चालक की पहचान नही करते है।

09. **गवाह पी.ड.3 कमलेश एवं गवाह पी.ड.4 पप्पूराम** तथाकथित रूप अस्थाई सुपुदर्गी प्रदर्श पी 04 के औपचारिक गवाहान है। उक्त गवाहान उक्त फर्द पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते है।

10. **गवाह पी.ड.7 सुखराम एवं पी.ड.8 रामेश्वर दयाल** स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर करते है कि दिनांक 25.01.2022 को 4 बजे की बात है। वे बीधोता से नारायणपुर जाने वाली सडक के किनारे बनी पानी की टंकी पर पशुओ को पानी पिला रहे थे। तभी एक मोटरसाईकिल वाले के एक साधन वाले ने टक्कर मार दी व साधन को लेकर भाग गया। टक्कर मारने वाले वाहन व उसके चालक को उन्होने नहीं देखा। घायल व्यक्ति को उन्होने व अन्य लोगो ने संभाला, घायल मनोहर लाल था जो एचेडी का था। बाद में उसने सुना कि घायल व्यक्ति मनोहर लाल दौराने इलाज खत्म हो गया। उक्त गवाहान को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है, जो स्वयं की **जिरह** में स्पष्ट रूप से कथन करते है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 14 व 15 का सी से डी व ई से एफ भाग उन्होने पुलिस को नहीं बताया। गवाह इस तथ्य से भी इंकार करते है कि महेन्द्र निवासी वीरपुर ने वाहन कार नंबर आरजे 29 टीए 2455 तेज गति व लापरवाही से चलाकर मनोहर लाल की मोटरसाईकिल नंबर आरजे 29 एसएस 3867 के टक्कर मार दी और वक्त दुघ र्टना उन्होने उसे संभाला हो। इस प्रकार उक्त गवाहान भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **<u>गवाह पी.ड.6 पायलेट मीना</u>** वाहन का स्वामी है, जो स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर करता है कि ''मैं वाहन नंबर आरजे 29 टीए 2455 का वाहन स्वामी हूँ। मेरा वाहन सवारी गाडी है मेरा उक्त वाहन जयपुर में सवारी में चलता है तथा मैं जयपुर ही रहता हूँ। मेरे उक्त वाहन से जनवरी 2022 में कोई दुर्घटना नहीं हुई। पुलिस ने मुझे धारा 133 एमवी का नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी से डी कथन मेरा कलमी नहीं है मैंने नहीं लिखवाया है। पुलिस ने मेरे उक्त वाहन आरजे 29 टीए 2455 जप्त किया था जो प्रदर्श पी 12 है तथा उक्त वाहन की आरसी, आईसी व चालक महेन्द्र का डीएल जप्त किया था जो प्रदर्श पी 13 है इन दोनो ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।'' उक्त गवाह को भी अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है, जो स्वयं की **<u>जिरह</u>** में स्पष्ट रूप से इस तथ्य से इंकार करता है कि दिनांक 25.01.2022 को उसके उक्त वाहन आरजे 29 टीए 2455 से समय करीब 4 पीएम पर नाथलवाडा गांव में दुर्घटना कारित की हो और उस वक्त उक्त वाहन पर महेन्द्र कुमार निवासी वीरपुर चालक हो। गवाह इस तथ्य से भी इंकार करता है कि धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 11 पर जवाब सी से डी उसके द्वारा लिखा गया हो। गवाह यह स्वीकार करता है कि चालक महेन्द्र उसका भाई है।

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त मुख्य गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिन्होंने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन अथवा चालक की पहचान के संदर्भ मे कोई तथ्य उजागर नही किए है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित कर पाया हो कि **अभियुक्त ने दिनांक 25.01.2022 को समय करीब दिन के 04.00 बजे भोभल्या की ढाणी नाथलवाडा गांव के पास बिगोता की तरफ से आते हुए अपनी कार नंबर आरजे 29 टीए 2455 को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए परिवादी के भाई मनोहरलाल की मो0सा0 नंबर आरजे 29 एसएस 3867 के सामने से टक्कर मार दी। इस उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से परिवादी के भाई मनोहरलाल की मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है।** अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>:: आदेश ::</u>

13. अतः अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र श्रवणलाल मीना, उम्र 23 साल, निवासी बीरपुर थाना टहला जिला अलवर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगीनामें एवं जमानतनामे पर है, बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावे।

15. अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त धारा 437ए सीआरपीसी के तहत अपीलीय

न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु 6 माह की अवधि तक प्रभावी 10000—10000 रूपए के जमानत व बंध पेश करें।

(शांतनु सिंह खंगारोत)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट
राजगढ जिला अलवर

16. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(शांतनु सिंह खंगारोत)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट
राजगढ जिला अलवर